Present- Sri Gopal Prasad Gupta,
Addl. Chief Judicial Magistrate-VI
Trial No.- 334 of 2026
Reg. No. 11466 of 2014
State vs Ramji Prsad Gupta .
Date of Judgment-11.08.2026

BRGO020000982000

Presented on : 07-11-2000
Registered on : 07-11-2000
Decided on : 11-08-2026
Duration : 25 years, 9 months, 4 days

FORM A

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी VI, गोपालगंज।

जिला –गोपालगंज (बिहार)

उपस्थित – गोपाल प्रसाद गुप्ता, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–VI, गोपालगंज।

[निर्णय तिथि – 11/08/2026]

यादोपुर थाना कांड संख्या – 38/2000, धारा 420, 467, 468, 471/34 भा. द. वि. |

पंजीयन संख्या–11466 / 2014

जी0 आर0 नं0–2254 / 2000

विचारण संख्या – 334/2026

सूचक	राज्य द्वारा सूचक रामाकान्त सिंह, पिता–स्व0 बासुदेव सिंह, साकिन–रजवाही, थाना–जादोपुर, जिला–गोपालगंज।
राज्य की ओर से	श्री अनुप कुमार त्रिपाठी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी।
अभियुक्त	(1). सुकदेव प्रसाद, पिता–स्व0 वेदार नाथ प्रसाद, उम्र–64 वर्ष, साकिन–हरिहरपुर, थाना–जादोपुर, जिला– गोपालगंज।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से	श्री अजय, विद्वान अधिवक्ता।

FORM B

घटना की तिथि	02/08/1997
प्राथमिकी की तिथि	06/11/2000
आरोप पत्र की तिथि	16/01/2008
संज्ञान की तिथि	21/01/2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	19/03/2015
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	01/07/2015
निर्णय हेतु सुरक्षित रखने की तिथि	11/08/2026
निर्णय की तिथि	11/08/2026
सजा की तिथि, यदि कोई	शून्य

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्त का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471/120(B) के अंतर्गत यादोपुर थाना कांड संख्या 38/2000 से संबंधित है, किया जा रहा है।

2. संक्षेप में, अभियोजन का वाद यह है, कि सूचक रामाकान्त सिंह ने अपने परिवाद में जो कि धारा 156 (3) के अंतर्गत जादोपुर थाना कांड संख्या–38/2000 के रूप में दर्ज हुआ, कहा है कि अभियुक्तगण सरकार द्वारा खैर की लकड़ी का व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस दिया गया है तथा सूचक भी खैर की लकड़ी का व्यवसाय करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा सूचक से पूर्व में क्रय किए गए खैर की लकड़ी के बिक्री प्रपत्रो, विक्रय बिल का दुरूपयोग किया जा रहा है जिसके कारण सूचक के साथ अभियुक्तगण द्वारा धोखाधरी एवं जाली कागजात बनाने का कार्य किया जा रहा है।

3. दिनांक 21.01.2008 को आरोप पत्र और कांड दैनिकी समर्पित करने के पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471/120(B) के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया और इस प्रकार यह वाद अंततः इस न्यायालय को विचारण निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 19.03.2015 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471/120(B) भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया तथा हिंदी में सुनाया, समझाया गया, जिसको सुनने के पश्चात् अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की। वाद के लंबित होने की अवस्था में एक अभियुक्त 1. ब्यास प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विरूद्ध वाद को आदेश दिनांक 15.06.2024 द्वारा स्थगित किया जा चुका है।

5. दिनांक 07.07.2025 को अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दिनांक 10.10.2025 को अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने आप को निर्दोष बताया।

6. इस वाद में एकमात्र बिंदु यह निर्णित करना है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त मुदालय के विरूद्ध अपने दावे को संदेह के परे साबित कर सके हैं अथवा नहीं ?

7. इस वाद में अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी नवल किशोर सिंह की गवाही कराई गई है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

प्रतिरक्षा साक्ष्य

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस

9. दोनों पक्षों का बहस सुना।

मंतव्य

10. इस वाद में अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471/120(B) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा एकमात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है तथा अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष सूचक सहित किसी भी अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। दिनांक 19.03.2015 को आरोप गठन किया गया और अभिलेख साक्ष्य के लिए सुनिश्चित किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति एवं परीक्षण के लिए न्यायालय द्वारा आदेशिकाएं भी जारी की गई तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी अभियोजन पक्ष अन्य साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने में पूरी तरह असफल रहा।

11. उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का जांच पड़ताल करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः संदेह के आधार पर उपरोक्त आरोपों से अभियुक्त बरी होने योग्य हैं।

आदेश

12. अतः एकमात्र अभियुक्त 1. सुखदेव प्रसाद को धारा 419, 420, 465, 468, 469, 471/120(B) भा.द.वि. में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है एवं जमानतदारों को भी बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437A के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रतिभुओ का बंधपत्र का दायित्व अगले 6 माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है जिससे इस निर्णय के अपील या पुनरीक्षण होने पर द्वितीय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी VI
गोपालगंज।
दिनांक: 11/08/2026

Date of Judgment	11-08-2026
Date of Upload	
Judgment reserved on	11-08-2026
Uploaded by	Sneha Kumari